

मध्यप्रदेश विधान सभा  
पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017 (आषाढ 28, 1939)

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए  
तीन-तीन सदस्यों का निर्वाचन

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मण्डल के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2017 को विधान सभा के निम्नलिखित तीन-तीन सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2. श्री गिरीश गौतम
3. श्री तरूण भनोत

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर

1. श्री दिलीप सिंह शेखावत
2. श्री लाखन सिंह यादव
3. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

अवधेश प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.